

प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप )अभियान वर्ष - 2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 339 सन 2022

अनवान :-

1. मोहनलाल पुत्र भागाराम जाति जाट निवासी चक 16 जेएसएन गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मुलाराम पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन गुडिया तहसील नोहर।
2. दलीप कुमार पुत्र मुलाराम जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. रामसिंह पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर
4. राकेश कुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर
5. घडसीराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी चक 10 केएनएन तहसील नोहर
6. सन्तोष पत्नी जिन्द्रपाल जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर
7. जिन्द्रपाल पुत्र मुलाराम जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर
8. दयालचन्द पुत्र दलीप कुमार जाति जाट निवासी चक 16 जेएसएन गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. रमेश कुमार पुत्र दलीप कुमार जाति जाट निवासी चक 16 जेएसएन गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. कृष्ण पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर।
11. सुभाषचद्र पुत्र घडसीराम जाति जाट साकिन चक 10 केएनएन तहसील नोहर।
12. श्रवण कुमार पुत्र घडसीराम जाति जाट साकिन चक 10 केएनएन तहसील नोहर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 20/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 58/58 की कुल 1.5180हैक व रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 18/18 की कुल 2.4030हैक व खाता संख्या 16/16 की कुल 2.2770हैक रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 87/87 की कुल 1.5610हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रोही मौजा चक 15 जेएसएन बी के खाता संख्या 25/23 की कुल 0.2530हैक भूमि मृतक खिवणी के नाम रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 17/17 की कुल 1.1130हैक वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 32/26 की कुल 2.5990हैक प्रतिवादी संख्या 5 के नाम खाता संख्या 105/99 की कुल 1.5880हैक प्रतिवादी संख्या 3 के नाम खाता संख्या 124/87 की कुल 1.5390हैक प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वजों ने वाद भूमि व अन्य चको की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भी करवाई गई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो पैतृक श्रेणी की भूमि है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की माता का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो खिवणी एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि का पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया

आदेश

जाकर प्रतिवादी संख्या 1, खिवणी, प्रतिवादी संख्या 3ता 6 के नाम दर्ज भूमि का काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 6 में दर्ज है इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 खिवणी, प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके वाद भूमि पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वजों ने वाद भूमि व अन्य चको की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भी करवाई गई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो पैतृक श्रेणी की भूमि है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की माता का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो खिवणी एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि का पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, खिवणी, प्रतिवादी संख्या 3ता 6 के नाम दर्ज भूमि का काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 6 में दर्ज है अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात वादी के निवेदन पर पत्रावली प्रशासन गांव के (फोलोअप) अभियान वर्ष - 2022 में प्रस्तुत हुई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वजों ने वाद भूमि व अन्य चको की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भी करवाई गई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो पैतृक श्रेणी की भूमि है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की माता का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो खिवणी एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि का पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, खिवणी, प्रतिवादी संख्या 3ता 6 के नाम दर्ज भूमि का काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए

उपखण्ड

बाहमी बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 8 में दर्ज है इसी अनुसार भूमि काशत करते आ रहे है वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने अधिकारी है।

वादी के वाद/कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिग्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 58/58 की कुल 1.5180हैक व रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 18/18 की कुल 2.4030हैक व खाता संख्या 16/16 की कुल 2.2770हैक रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 87/87 की कुल 1.5610हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रोही मौजा चक 15 जेएसएन वी के खाता संख्या 25/23 की कुल 0.2530हैक भूमि मृतक खिवणी के नाम रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 17/17 की कुल 1.1130हैक वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 32/26 की कुल 2.5990हैक प्रतिवादी संख्या 5 के नाम खाता संख्या 105/99 की कुल 1.5880हैक प्रतिवादी संख्या 3 के नाम खाता संख्या 124/87 की कुल 1.5390हैक प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वजों ने वाद भूमि व अन्य चको की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भी करवाई गई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो पैतृक श्रेणी की भूमि है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की माता का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो खिवणी एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि का पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने भूमि काशत की सूविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार काशत करते आ रहे व उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया ।


वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काविल डिग्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिग्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी मोहनलाल के पास रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 17/17 की कुल 1.1130हैक भूमि वादी अकेले के पास रहेगी एव रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 18/18 के प0न0 335/401(23) के किला न0 3,4 ,7,8/1. 0120हैक भूमि रहेगी। प्रतिवादी संख्या 8 ,9 के पास रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 18/18 के प0न0 335/401(23) के किला न0 13/0.2530 ,14/1 की 0.1260हैक

नहीं

17. 18/0.5060हैक , प0न0 335/402(34) के किला न0 1/1 की 0.2280हैक , 1/2 की 0.0250हैक गै0मु0रास्ता , व 2/1 की 0.2280हैक 2/2 की 0.0250हैक गै0मु0रास्ता की भूमि रहेगी एव प्रतिवादी संख्या 3 के पास रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 32/26 के प0न0 331/285(45) के किला न0 19 ता 22 की 1.0120हैक भूमि रहेगी तथा रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 105/99 के प0न0 331/385(45) के किला न0 17 ,18, 23 ,24/1.0120हैक भूमि रहेगी। प्रतिवादी संख्या 4 के पास रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 58/58 के प0न0 330/380(16) किला न0 24/0.2530हैक भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 11 ,12 के पास रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 105/99 के प0न0 331/386(54) के किला न0 3/1 की 0.0250हैक गै0मु0रास्ता, 3/2 की 0.2280हैक , 4/1 की 0.0260हैक गै0मु0रास्ता व 4/3 की 0.2150हैक , 7/1 की 0.0410हैक , किला न0 8/1 की 0.0410हैक भूमि एवं रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 32/26 के प0न0 331/386(54) के किला न0 1/1 की 0.0250हैक गै0मु0रास्ता , 1/2 की 0.2280हैक , 2/1 की 0.0260हैक गै0मु0रास्ता 2/2 की 0.2270हैक , 9/1 की 0.0340हैक 10/1 की 0.0350हैक रहेगी एव खाता संख्या 124/87 की कुल 1.5390हैक भूमि रहेगी,प्रतिवादी संख्या 5 के पास रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 32/26 के प0न0 332/384(41) के किला न0 24 ,25/0.5060हैक , प0न0 332/385(46) के किला न0 4/1 की 0.0250हैक गै0मु0 रास्ता 4/2 की 0.2280हैक 5/1 की 0.0260हैक गै0मु0रास्ता 5/2 की 0.2270हैक भूमि रहेगी एवं रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 58/58 के प0न0 330/380(16) के किला न0. 14/0.2530 ,15/1 की 0.0250हैक गै0मु0रास्ता 15/2 की 0.2530हैक 16/1 की 0.0260हैक 16/2 की 0.2270हैक 17/0.2530 ,25/1 की 0.0260हैक गै0मु0रास्ता 25/2 की 0.2270हैक भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 6 ,7 के पास रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 16/16 की कुल 2.277हैक एवं रोही मौजा चक 15 जेएसएन खाता संख्या 25/23 की कुल 0.2530हैक बहिब भूमि रहेगी।प्रतिवादी संख्या 10 के पास रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 87/87 की कुल 1.5610हैक भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 1 , 2 खिवणी का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/05/2012 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

  
 उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
 नोहर ( हनुमानगढ )  
 प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2022  
 कैम्प कोर्ट..... 20/05/12

प्रशासन गांव के संग (फोलोअप ) अभियान वर्ष - 2022  
पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्दा दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. मोहनलाल पुत्र भागाराम जाति जाट निवासी चक 16 जेएसएन गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मुलाराम पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन गुडिया तहसील नोहर।
2. दलीप कुमार पुत्र मुलाराम जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. रामसिंह पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर
4. राकेश कुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर
5. घडसीराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी चक 10 केएनएन तहसील नोहर
6. सन्तोष पत्नी जिन्द्रपाल जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर
7. जिन्द्रपाल पुत्र मुलाराम जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर
8. दयालचन्द पुत्र दलीप कुमार जाति जाट निवासी चक 16 जेएसएन गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. रमेश कुमार पुत्र दलीप कुमार जाति जाट निवासी चक 16 जेएसएन गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. कृष्ण पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर।
11. सुभाषचन्द्र पुत्र घडसीराम जाति जाट साकिन चक 10 केएनएन तहसील नोहर।
12. श्रवण कुमार पुत्र घडसीराम जाति जाट साकिन चक 10 केएनएन तहसील नोहर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 339 सन 2022 निर्णय दिनांक- 20/05/2022

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग (फोलोअप ) अभियान वर्ष - 2022 में मुझ श्वेता

कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी मोहनलाल के पास रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 17/17 की कुल 1.1130हैक् भूमि वादी अकेले के पास रहेगी एव रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 18/18 के प0न0 335/401(23) के किला न0 3,4 ,7,8/1. 0120हैक् भूमि रहेगी। प्रतिवादी संख्या 8 ,9 के पास रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 18/18 के प0न0 335/401(23) के किला न0 13/0.2530 ,14/1 की 0.1260हैक् 17, 18/0.5060हैक् , प0न0 335/402(34) के किला न0 1/1 की 0.2280हैक् , 1/2 की 0.0250हैक् गै0मु0रास्ता , व 2/1 की 0.2280हैक् 2/2 की 0.0250हैक् गै0मु0रास्ता की भूमि रहेगी एव प्रतिवादी संख्या 3 के पास रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 32/26 के प0न0 331/285(45) के किला न0 19 ता 22 की 1.0120हैक् भूमि रहेगी तथा रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 105/99 के प0न0 331/385(45) के किला न0 17 ,18, 23 ,24/1.0120हैक् भूमि रहेगी। प्रतिवादी संख्या 4 के पास रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 58/58 के प0न0 330/380(16) किला न0 24/0.2530हैक् भूमि रहेगी

खाता संख्या 58/58 के प0न0 330/380(16) किला न0 24/0.2530हैक् भूमि रहेगी

प्रतिवादी संख्या 11 ,12 के पास रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 105/99 के प0न0 331/386(54) के किला न0 3/1 की 0.0250हैक गै0मु0रास्ता, 3/2 की 0.2280हैक , 4/1 की 0.0260हैक गै0मु0रास्ता व 4/3 की 0.2150हैक , 7/1 की 0.0410हैक , किला न0 8/1 की 0.0410हैक भूमि एवं रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 32/26 के प0न0 331/386(54) के किला न0 1/1 की 0.0250हैक गै0मु0रास्ता , 1/2 की 0.2280हैक , 2/1 की 0.0260हैक गै0मु0रास्ता 2/2 की 0.2270हैक , 9/1 की 0.0340हैक 10/1 की 0.0350हैक रहेगी एव खाता संख्या 124/87 की कुल 1.5390हैक भूमि रहेगी,प्रतिवादी संख्या 5 के पास रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 32/26 के प0न0 332/384(41) के किला न0 24 ,25/0.5060हैक , प0न0 332/385(46) के किला न0 4/1 की 0.0250हैक गै0मु0 रास्ता 4/2 की 0.2280हैक 5/1 की 0.0260हैक गै0मु0रास्ता 5/2 की 0.2270हैक भूमि रहेगी एवंएव रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 58/58 के प0न0 330/380(16) के किला न0. 14/0.2530 ,15/1 की 0.0250हैक गै0मु0रास्ता 15/2 की 0.2530हैक 16/1 की 0.0260हैक 16/2 की 0.2270हैक 17/0.2530 ,25/1 की 0.0260हैक गै0मु0रास्ता 25/2 की 0.2270हैक भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 6 ,7 के पास रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 16/16 की कुल 2.277हैक एवं रोही मौजा चक 15 जेएसएन खाता संख्या 25/23 की कुल 0.2530हैक बहिब भूमि रहेगी।प्रतिवादी संख्या 10 के पास रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 87/87 की कुल 1.5610हैक भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 1 , 2 खिवणी का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप )अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व )  
 नौहर (नेहनुमानगढ)  
 प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2022  
 कैम्प कोर्ट 21/5/22